11.कार्यालय छ.ग. वभागीय जाँच आयुक्त, रायपुर

छत्त्ीसगढ शासन द्वारा राज्य के प्रथम श्रेणी अ धकारियों के वभागीय जांच प्रकरणों के लए आदेश क्रमांक एफ1.3/ 2002/ 1/ 6/ रायपुर दिनांक 12.07.2002 द्वारा वभागीय जांच आयुक्त कार्यालय गठन कए जाने के बाद से निरंतर कार्यशील है।

अ धकारियों/कर्मचारियों की स्थिति-

वर्तमान में आयुक्त वभागीय जांच छत्त्ीासगढ कार्यालय के लए स्वीकृत सेट-अप में निम्नानुसार अ धकारी/कर्मचारी कार्यरत हैः-

क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत अ धकारी/ कर्मचारी की संख्या	रिक्त पद
1	आयुक्त	प्रथम श्रेणी	1	1 सं वदा में	निरंक
2	सहायक लेखा धकारी	तृतीय श्रेणी	1		1 रिक्त
3	सहायक ग्रेड- 01/रीडर	तृतीय श्रेणी	1		1 रिक्त
4	सहायक ग्रेड- 02	तृतीय श्रेणी	1		1 रिक्त
5	स्टेनोग्राफर	तृतीय श्रेणी	1		1 रिक्त
6	स्टेनो टाय पस्ट	तृतीय श्रेणी	2		2 रिक्त
7	सहायक ग्रेड- 3	तृतीय श्रेणी	2	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती (02पद)	निरंक
8	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	2	01 कलेक्टर दर पर	1 रिक्त
9	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	4	02 कलेक्टर दर पर	2रिक्त
10	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी	1	कलेक्टर दर पर	1 रिक्त
11	चैकीदार	चतुर्थ श्रेणी	1	कलेक्टर दर पर	1 रिक्त
योग			17	6	11

कार्यालय के लए स्वीतकृत सेट-अप के पदों के लए उपयुक्ता कर्मचारी की पदस्थापना के लए प्रशासकीय वभाग द्वारा प्रयास कए जा रहें है।

बजटः-

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयुक्त वभागीय जांच छत्तीसगढ़ कार्यालय के लए वर्ष 2017-18 के लए बजट मे 59,10,000 रूपए का प्रावधान कया गया है।

वभागीय जांच आयुक्त कार्यालय की कार्य पद्धतिः-

शासन के प्रथम एवं द् वतीय श्रेणी के अ धकारियों के वरूद्ध संस्थित वभागीय जांच प्रकरण में प्रशासकीय वभाग द्वारा आरोप- पत्र जारी करने के उपरांत अपचारी अ धकारी के प्रतिवाद प्राप्त होने के बाद परीक्षण पश्चात प्रतिवाद संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर प्रशासकीय वभाग का यह मत हो क उक्त संस्थित वभागीय जांच की वस्तृत जांच कया जाना उ चत हो , का निर्णय होने पर एवं अनुशासनिक प्रा धकारी का यह भी मत हो क उक्त संस्थित वभागीय जांच के लए स्वयं जांच न कर वभागीय जांच आयुक्त को जांचकर्ता प्रा धकारी नियुक्त कया जाकर जांच सम्पन्न करना उ चत हो , तब छत्तीसगढ स वल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(2) सहपठित 14(5) के अंतर्गत एवं औपचारिक आदेश जारी कर वभागीय जांच आयुक्त को प्रकरण में जांचकर्ता प्रा धकारी नियुक्त कया जाता है , साथ ही प्रकरण में प्रस्तु तकर्ता अ धकारी की नियुक्ति की जाती है। प्रशासकीय वभाग से प्राप्तप्रकरणों में वभागीय जांच आयुक्त कार्यालय द्वारा अपचारी अ धकारी के अ भवचन (प्ली) ल पबद्ध कए जाने के पूर्व अपचारी अ धकारी को आरो पत आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया जाता है तथा उसके द्वारा आरो पत आरोपों के अस्वीकार कए जाने पर उभय पक्षों के साक्ष्य् ल पबद्ध कया जाकर प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर जांच प्रतिवेदन तैयार कया जाकर शासन के संबं धत प्रशासकीय वभाग को प्रकरण में जांच प्रतिवेदन पर अ ग्रम कार्यवाही कए जाने के लए भेजी जाती है।

1) वर्ष 2017 के लंबित प्रकरणों के संख्याह (01.04.2017 को) - 61

2) वर्ष 2017 में प्राप्ति प्रकरणों की संख्याय (दिस. 2017 तक) - 10

3) वर्ष 2017 में कुल लंबित प्रकरणों की संख्या (दिसं. 17 तक) - 71

4) वर्ष 2017 में जांच उपरांत भेजे गए जांच प्रतिवेदन प्रकरणों की संख्या - 36

वर्तमान में लंबित प्रकरणों की संख्या - 35

वर्तमान में लंबित प्रकरणों की वभागवार संख्या

1) भा.प्र सेवा के अ धकारियों के प्रकरणों की संख्या - 01

2) जनशक्ति नियोजन वभाग के प्रकरणों की संख्या - 03

3) वा णज्य उद्योग वभाग के प्रकरणों की संख्याख - 01

4) जल संसाधन वभाग के प्रकरणों की संख्याक - 04

5) वा णज्यिक कर वभाग के प्रकरणों की संख्या् - 01

6) वा णज्यिक कर आबकारी वभाग के प्रकरणों की संख्या - 01

7)	पंचायत एवं ग्रामीण वभाग (ग्रा.यां.सेवा) के प्रकरणों	-	03 की संख्या
8)	लो.स्वा .यां. वभाग के प्रकरणों की संख्यां	-	07
9)	आदिम जाति एवं अनु. जाति वभाग के प्रकरणों की संख्या	-	06
10)	उच्चं शक्षा वभाग के प्रकरणों की संख्याख	-	01
11)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वभाग के प्रकरणों की संख्या	-	04
12)	समाज कल्या ण वभाग के प्रकरणों की संख्यार	-	01
13)	गृह एवं जेल वभाग के प्रकरण की संख्या	-	01
14)	स्कूएल शक्षा वभाग के प्रकरण की संख्या	-	01
	योग	-	35

कार्यालय उपकरणों की स्थितिः-

वर्ष 2017-18 के बजट के नवचीन उपकरण क्रय कए जाने के लए 60 हजार रूपए की रा श बजट में आबंटित की गई है। जिसमें कार्यालय की आवश्येकता अनुसार उपकरण क्रय कया जाना है।

समस्या एवं सुझावः-

1). कार्यालय के स्वी-कृत पदों पर अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पायी है। शा प्रशासकीय वभाग के रिक्त पदों पर उपयुक्तं कर्मचारियों की पदस्थापना कए जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

2). व भन्न प्रशासकीय वभागों से वभागीय जांच करने हेतु प्रकरण प्राप्त होते हैं। जिसमें ऐसा पाया हैं क कुछ प्रकरणों में नियम 14(6) में निर्दिष्ट सभी अ भलेख नहीं पाये जाते हैं और कसी प्रकरण में शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत कए गए प्रतिवाद के ल खत कथन की प्रति एवं संलग्नक कए गए प्रपत्र की प्रति नहीं प्रे षत कए जाते हैं। एवं कसी में शासकीय सेवक को उप नियम- 3 में निर्दिष्टर- कए गए दस्तावेजों के परिदान को सद्ध करने वाला साक्ष्य नहीं होता है।

3). प्रस्तुतकर्ता अ धकारी की उपस्थिति निय मत रूप से नहीं होती है। ऐसे अ धकारी अन्य) कार्यों मे व्यस्ततः का आधार लेकर उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करते हैं तथा साक्ष्य प्रस्तुती के लए उनके द्वारा वांछित प्रयास नहीं कए जाते हैं। फलस्वरूप वभागीय साक्ष्य हेतु बार-बार ति थयां नियत करना पड़ती हैं , इससे वचारण अव ध बढ़ती है।

4). प्रशासकीय वभाग द्वारा प्रकरण में नाम से अ धकारी को प्रस्तुतकर्ता अ धकारी नियुक्त कया जाता हैं , उनके स्थानांतरण हो जाने से बार-बार प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अ धकारी बदलते रहते हैं। जिससे भी प्रकरण के जांच कार्यवाही में वलंब होती है। अतः उ चत होगा क प्रस्तुतकर्ता अ धकारी को पदनाम से नियुक्त कया जावें।

5). संबं धत प्रशासकीय वभाग कई बार उन्हीं अ धकारी को प्रकरण का प्रस्तुतकर्ता अ धकारी नियुक्त कर देते हैं जो प्रकरण मे वभागीय गवाह भी होते हैं। ऐसी स्थिति में अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है। तथा प्रकरण मे जांच कार्यवाही में अनावश्यक वलंब होता है।